विकलांग बच्चों की शिक्षा
उचित समर्थन के साथ समावेशन का अधिकार
डॉ. सुदेश मुखोपाध्याय

परिचय

जवाबदेही आज के समय का बहु-प्रचलित शब्द है और इसका उपयोग दोनों तरीक़ों से किया जाता है : ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर। पहले से कहीं अधिक, आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति चिन्तन करे और प्रतिक्रिया दे, भले ही शिक्षा प्रणाली के क्रम में हमारी स्थिति या भूमिका कुछ भी हो। हम जिस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं या जो कर रहे हैं, क्या हम वास्तव में वैसा चाहते हैं और उस पर कार्य करते हैं? क्या मेरे पास उस दृष्टिकोण को रखने का कोई कारण है जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ? भारतीय शिक्षा प्रणाली के सबसे शक्तिशाली निकाय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन — सीएबीई), की 21 सितम्बर, 2019 की बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया :

“राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा (ड्राफ्ट एनईपी 2019) पहुँच, समता, गुणवत्ता, जवाबदेही और वहनीयता के बुनियादी स्तम्भों पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो गुणवत्ता और समता पर परस्पर आधारित हो तथा एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सके। एनईपी 2019 के मसौदे में सुधार के कई उपाय प्रस्तावित किए गए हैं ताकि सभी विद्यार्थियों को देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों।”[1]

हम जानेंगे कि विकलांग बच्चों (सीडब्ल्यूडीएस) समेत इस देश के लाखों बच्चों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के मसौदे का क्या अर्थ है। इस नीति में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और इसी तरह के अन्य वंचित समूहों के लिए अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूह या अंडर-रिप्रेज़ेंटेड ग्रुप्स (यूआरजी) शब्द का प्रयोग किया गया है। ग़ौर करने वाली बात यह है कि लिंग या जेंडर को सभी लोगों के बीच छँटाई करने वाले एक तथ्य के रूप में मान्यता दी गई है। मेरी एकमात्र चिन्ता यह है कि अगर ऐसा है तो विकलांगता को ऐसी मान्यता क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि यह भी तो सभी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और ऐसे ही अन्य मानव निर्मित मापदण्डों के लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति है जो अल्प-प्रतिनिधित्व/सुविधावंचितता के तहत परिभाषित होती है? सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार शिक्षा पर अन्तिम और अधिक व्यापक राष्ट्रीय नीति अब उपलब्ध है। इसे अभी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है। धारा 6 में अभी भी क्रॉस-कटिंग चुनौती (वह चुनौती जिसे अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करती है) के रूप में ‘विकलांगता’ का उल्लेख नहीं किया गया है।

क्या हम उन चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो हमारे सामने हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को जवाब दे सकें? स्वीडन की 16 वर्षीय छात्रा ग्रेटा थनबर्ग ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर एक आन्दोलन शुरू किया है और यह सवाल पूछकर हममें से प्रत्येक को यह चुनौती दी है कि क्या हम पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं? वह दुनिया भर में कई विद्यार्थियों और नागरिकों तक पहुँचने में सक्षम रही है। दिलचस्प बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स[i] के अनुसार वह स्वलीनता स्पेक्ट्रम में भी है।

अलग होना एक उपहार हो सकता है

थनबर्ग के माता-पिता का कहना है कि उनकी बेटी, जो एक समय बेहद अन्तर्मुखी थी, हमेशा अन्य बच्चों से थोड़ी अलग थी। चार साल पहले इस बात का पता चला कि उसे एस्परगर्स है जो स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार का उपप्रकार है, जिससे पता चलता है कि अपनी निराशा से बाहर आने के बाद उसने जलवायु परिवर्तन के मुख्य मुद्दे पर इतनी शिद्दत से ध्यान क्यों दिया। जब रेडियो 4 के टुडे कार्यक्रम “बीइंग डिफरेंट इज़ ए गिफ्ट” में उसका साक्षात्कार लिया गया तो उसने निक रॉबिन्सन से कहा कि, ‘यह मुझे चीज़ों को एक नए व अपरम्परागत तरीक़े से देखने देता है। मैं आसानी से झूठ पर यक़ीन नहीं करती, मैं चीज़ों को समझ सकती हूँ। उदाहरण के लिए अगर मैं अन्य सभी की तरह होती तो मैंने यह स्कूल स्ट्राइक शुरू नहीं की होती।’

स्रोत : (बिरेल, इयान, 23 अप्रैल, 2019 से उद्धृत)।

इसलिए विकलांग व्यक्तियों के समावेशन की आवश्यकता की वकालत करने से परे जाने की आवश्यकता है तथा

यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह और सक्रिय होने की आवश्यकता है कि हमने अपनी शिक्षा प्रणाली में सूक्ष्म स्तर पर, बचपन से वयस्कता तक के अपने शिक्षा संस्थानों में एक सशक्त वातावरण बनाया है। यदि हम अपने समुदायों के भीतर और दुनिया भर में कई बच्चों तथा युवा विकलांगों के अनुभवों को देखें तो यह सन्देश स्पष्ट है— समावेशन सशक्तकारी है, लेकिन उनके लिए नहीं बल्कि हम में से हर एक के लिए। हमारे लिए आवश्यक है कि हम ताक़तों को खोजें और उनका निर्माण करें, बिना उन धारणाओं से उलझे जो शायद समावेशन की राह पर चलने के लिए पर्याप्त दृढ़ न हों। आइए, हम इस पृष्ठभूमि में शिक्षा की अवधारणा को समझें और सशक्तिकरण के मार्ग को एक साथ खोजें।

शिक्षा

शिक्षा को यूनानी धारणा के एडुकेयर के अनुसार परिभाषित किया गया है, यानी क्षमता को बाहर लाना या विकसित करना। ऐसी शिक्षा :

- *संकल्पित और आशाजनक होती है*

  हम अधिगम इस विश्वास के साथ करवाते हैं कि लोग अधिक हो सकते हैं

- *सूचित, सभ्य व बुद्धिमान*

  सत्य और सम्भावना की ओर आकर्षित करने की एक प्रक्रिया होती है।

- *इस इच्छा पर आधारित होती है कि जीवन में सभी फलें-फूलें और साझा करें।*

  एक सहकारी और समावेशी गतिविधि जो यथासम्भव अच्छी तरह अपना जीवन जीने में लोगों की मदद करती है (स्मिथ, 2015)।[ii]

विकलांग बच्चों की शिक्षा को विभिन्न तरीक़ों से सम्बोधित किया जा रहा है हालाँकि पसन्दीदा प्रावधान, सामान्य रूप से शिक्षा के इतिहास, और विशेष रूप से विकलांग जनों की शिक्षा के इतिहास में विकास के साथ बदलते रहते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति और मूल्य प्रणाली भी तौर-तरीक़ों के मिश्रण को प्रभावित करती है। ऐसे कुछ देश हैं जहाँ समावेशी शिक्षा प्रमुख प्रणाली है और कुछ अन्य देशों में विशेष स्कूलिंग इच्छित प्रणाली बनी हुई है। कई देशों में मिश्रित तरीक़ों को महत्त्व दिया जाता है, जिसमें गम्भीर और कई विकलांगता वाले बच्चों और ग़ैर-संस्थागत बच्चों के लिए घर-आधारित सेवाएँ शामिल हैं।

आज समावेशी शिक्षा इस बात पर आधारित है कि सभी बच्चे अड़ोस-पड़ोस के नियमित स्कूल में सीख सकते हैं। प्रणाली को शिक्षार्थियों की विविधता के अनुसार बदलना चाहिए न कि सीखने वाले को प्रणाली के लिए— इस बात को संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (यूएनसीआरपीडी, 2006) में उजागर किया गया है। यह आकलन कि शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशी शिक्षा के साथ-साथ विशेष शिक्षा के लिए भी वांछित है, अनुमान पर आधारित है न कि कठोर शोध पर, जिसने अभी तक वैकल्पिक तौर-तरीक़ों की प्रभावशीलता पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया है।

सीबीएसई ने पहले से ही 'जीवन कौशल' के बारे में बात करना शुरू कर दिया है और एनईपी (2019) का नवीनतम संस्करण भी इसे सन्दर्भित करता है। ध्यातव्य है कि विशेष स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए 'प्लस/संवर्धन पाठ्यक्रम' भी जीवन कौशल के बारे में है। कौशल परिषद की कार्यसूची में भी यह बात है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 को डिज़ाइन करते समय एनसीईआरटी को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

क़ानूनी प्रावधानों से सीखना

विकलांग बच्चों की शिक्षा आज सरकार की प्रमुख ज़िम्मेदारियों में से एक है। भारत में हम 1974 से सामाजिक कल्याण मंत्रालय (जो अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से इस पद्धति की ओर काम कर रहे हैं। आयोगों, पंचवर्षीय योजनाओं और संसद द्वारा समय-समय पर पारित अधिनियमों के विश्लेषण से घटनाक्रम का अन्दाज़ा मिलता है। इन घटनाओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :

पंचवर्षीय योजनाओं के तहत समावेशी शिक्षा के प्रावधान

पंचवर्षीय योजनाएँ	प्रमुख विकास
पहली योजना 1951-56	समाज कल्याण के तहत
दूसरी योजना 1956-61 एवं तीसरी योजना 1961-66	बढ़ी हुई सुविधाएँ, एम.ओ.ई. : राष्ट्रीय सलाहकार समूह, एनजीओ की भागीदारी के सर्वे
बीच की बची समयावधि	शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय नीति - आईईडी

चौथी योजना 1968-74 एवं पाँचवीं योजना 1974-79	एमएसडब्ल्यू में आईईडी योजना, चयनात्मक कवरेज
छठी योजना 1980-85	एम/एचआरडी में आईईडीसी योजना, रोकथाम, एकीकरण, नमूना सर्वेक्षण
सातवीं योजना 1985-90	ग़ैर-सरकारी संगठन, महिलाएँ और विकलांग एक समान या बराबर
राष्ट्रीय नीति 1986, पीओए	विकलांगों की शिक्षा पर अध्याय
आठवीं योजना 1992-97	पीडब्ल्यूडी अधिनियम, आरसीआई, डीपीईपी, नमूना सर्वेक्षण
नवीं योजना 1997-2002	एसएसए, राष्ट्रीय ट्रस्ट, जनगणना सर्वेक्षण, 86वाँ संशोधन, एनएसएसओ 2002
दसवीं योजना 2002-2007	निगरानी, विस्तार, क़ानूनी ढाँचा, आरक्षण, मन्त्री का बयान, राष्ट्रीय कार्य योजना, विकलांगता पर व्यापक योजना निर्माणाधीन (आईईसीवाईडी)
ग्यारहवीं योजना 2008- 2012	आईईडीएसएस, आरएमएसए, आरटीई, पीडब्ल्यूडी अधिनियम को संशोधित करना, एसएसए की संशोधित रूपरेखा, एनसीपीसीआर, उच्च शिक्षा संस्थानों में ईओओ, विकलांगता अध्ययन
बारहवीं योजना 2012-17	संशोधन, 2012-आरटीई 2009 में, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और आगे की कार्रवाई के लिए अधिसूचना
2017 के बाद	नीति आयोग : द थ्री-ईयर एक्शन एजेंडा (2017-18 से वर्ष 2019-20) एसएसए और आरएमएसए को अपनाते हुए समग्र शिक्षा आरटीई और विशेष विद्यालयों का चयन (आरपीडब्ल्यूडी, 2018)
ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019	20 सितम्बर 2019 को सीएबीई में प्रस्तुत; 5+3+3+4 (12 वर्षीय स्कूल शिक्षा के स्थान पर, जिसमें 5 साल के फाउण्डेशनल लर्निंग के रूप में प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 और 2 शामिल हैं) और यूआरजी के भाग के रूप में विकलांगता पर ध्यान देना; सभी बोर्डों में समावेशन; एमसीआई, एआईसीटीई, एनसीटीई, आरसीआई जैसे अन्य सभी नियामक निकायों की प्रकृति में बदलाव।

स्रोत : सुदेश मुखोपाध्याय द्वारा विकसित, 2018, उनके अध्यायों पर आधारित।

नोट : समावेशी शिक्षा के लिए कुछ मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है; कुछ छूट गई हो सकती हैं क्योंकि कई अन्य अधिनियम भी विकलांगताओं को सम्बोधित करते हैं, हालाँकि कार्यक्रमों और योजनाओं के शीर्षक में स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख नहीं किया गया है।

यह तालिका स्वतंत्रता के बाद से समावेशी शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों को दर्शाती है। समावेशन अब एक जाना-पहचाना शब्द है, हालाँकि अभी भी भारत सहित सभी देशों के लिए यह एक विकसित हो रही प्रक्रिया है।

नीतियों और विधानों को सक्षम करने के परिणामस्वरूप, सभी राज्य अधिक से अधिक अदालती मामले देख रहे हैं और यह मामले सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाए गए हैं। यह कार्यवाही के साथ विचारधारा को साकार करने में नीति से लेकर कार्यान्वयन तक के अन्तराल और चुनौतियों को इंगित करता है।[iii] आरटीई अधिनियम (2009) की नो-डिटेंशन से सम्बन्धित धारा 16 को 2017 में संशोधित किया गया है। इसको हटाने से सभी कमज़ोर बच्चों पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि यह स्व निगरानी की प्रणाली नहीं है और न ही स्कूल उस समर्थन के लिए ज़िम्मेदार हैं जिन्हें अधिनियम, 2009 के तहत परिकल्पित किया गया था और जो और अब विकलांग बच्चों को भी कवर करता है।

प्रावधानों और अब एनईपी, 2019 के मसौदे द्वारा परिलक्षित मन्तव्य को ध्यान में रखते हुए सभी नीति-निर्माताओं, योजनाकारों, कार्यान्वयनकर्ताओं और हितधारकों के लिए यह बात महत्त्वपूर्ण है कि वे समावेशन के विज़न का विस्तार करें और अवसर की समानता के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को भी इसमें सम्मिलित करें। हालाँकि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा महत्त्वपूर्ण और अनुशंसित

है, लेकिन 14 साल की उम्र तक स्कूली शिक्षा के प्रारम्भिक वर्षों के महत्त्व को कम या अधिक नहीं किया जा सकता है। चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची पर है और विकलांगता राज्य का विषय है, अतः हम सभी को राष्ट्रीय नीति को कार्रवाई योग्य कार्यान्वयन प्रावधानों में बदलने के निहितार्थ को समझने की आवश्यकता है। सम्बन्धित आदेश और प्रशासनिक कार्रवाई हमेशा राज्य ही करते हैं। सीएसआर और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बड़े ध्यान और सावधानी के साथ समझने की आवश्यकता है क्योंकि बाज़ार अर्थव्यवस्था ने अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे यूनेस्को और यूनिसेफ से धन के प्रवाह को प्रभावित किया है।

मानव संसाधन की चुनौती

जब से विशेष और समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई है, विकलांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए मानव संसाधनों की उपलब्धता और निरन्तर क्षमता-निर्माण एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता को केवल पर्याप्त व नियोजित और पेशेवर रूप से सक्षम मानव संसाधनों के द्वारा ही सुगम बनाया जा सकता है। स्कूलों में स्टाफ़ को वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर नहीं। आरटीई अधिनियम को इस वास्तविकता को पहचानना चाहिए और शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और अन्य पेशेवरों की भर्ती को संयोग तथा तदर्थ निर्णय पर नहीं छोड़ना चाहिए। चुनौती यह है :

- क्या हमारे पास पर्याप्त सेवा प्रदाता हैं?
- क्या हमें उस नामावली को भी देखना चाहिए जिसका हम उपयोग करते हैं? उदाहरण के लिए, यदि हम विशेष सेवाओं वाले स्कूलों को विशेष स्कूलों के रूप में देखते हैं, तो ये एक विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित स्कूल का एक प्रकार होगा, जैसे कि नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल।
- इसके अलावा, हम कुछ बच्चों को विशेष सहायता प्रदान करने की योजना कैसे बनाएँ? इसके लिए हमें व्यक्ति के जीवन में हुई दुर्घटनाओं और ऐसे कई अन्य कारणों जैसे स्थान, सामाजिक वातावरण, स्वास्थ्य, जन्म से विकलांगता स्थिति आदि परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण, शोध और दस्तावेज़ीकरण करने की आवश्यकता है।[iv]

रिपोर्टिंग एजेंसियों द्वारा जारी किए गए विकलांगता-वार डेटा सेवाओं और संसाधनों के नियोजन के लिए सवाल पैदा करते हैं। न्यूरोलॉजिकल और संवेदी विकलांग बच्चों को स्कूली सुविधाएँ और सेवाएँ मुहैया कराने के लिए उचित निदान और अधिगम के लिए समर्थकारी हस्तक्षेप जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। अभी तक अधिगम के परिणामों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक बच्चे के अधिगम का स्वरूप अलग है। उदाहरण के लिए, आर्थोपेडिक, सीपी और कई विकलांगता वाले बच्चों की आवश्यकताओं में विविधता है। हालाँकि समान परिणामों के लिए प्रयास करना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि गति, शिक्षण कला, समर्थन, ग़ैर-उपचारी संवर्धन हस्तक्षेप अलग होते हैं। इनमें अधिगम के परिणामों के निहितार्थ होंगे जो आकलन प्रक्रियाओं और पाठ्यक्रम डिज़ाइन को प्रभावित करेंगे।

विशेष शिक्षा स्कूल — समावेशन की निरन्तरता

समावेशी शिक्षा एकीकरण और मुख्यधारा की पूर्व-मान्य धारणाओं से भिन्न है, जो मुख्य रूप से विकलांगता और विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित सरोकारों की ओर प्रवृत्त थी। इसमें शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मुख्यधारा में समायोजन के लिए अपने को बदलें या उसके योग्य बनें। इसके विपरीत समावेशन में बच्चे के भाग लेने के अधिकार की बात आ जाती है और साथ ही यह स्कूल का कर्तव्य माना जाता है कि वे बच्चे को स्वीकार करें और उसके अनुकूल हों।

समावेशन में ग़ैर-विकलांग विद्यार्थियों को विकलांग विद्यार्थियों से अलग करने के लिए विशेष स्कूलों या कक्षाओं के उपयोग को अस्वीकार किया जाता है। अधिकार-आधारित यह दृष्टिकोण विकलांग विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण भागीदारी और उनके सामाजिक, नागरिक और शैक्षिक अधिकारों के सम्मान पर ज़ोर देता है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में विचारधारा और प्रावधान, दोनों के अनुसार, स्कूलों को 'सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा' कार्यक्रमों जैसे स्वीकृत शब्दों के बीच अन्तर नहीं करना है। इसकी बजाय स्कूल की प्रक्रियाओं को इस तरह से संरचित किया जाना चाहिए कि सभी विद्यार्थी एक साथ सीखें और साथ ही विशेष स्कूल बनने की गुंजाइश भी हो।[v]

हम अधिकारों के मार्ग के अवरोधक नहीं, सुगमकर्ता हैं! क्या हम, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के रूप में, विकल्पों के अधिकार को प्रयोग में लाने का सम्मान करते हैं? क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सभी स्कूल समावेशी हैं, और सभी विशेष स्कूल आरटीई अधिनियम के मानदण्डों को पूरा करते हैं? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर प्रणाली को विचार करना चाहिए, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी न केवल स्कूलिंग के, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर विशेष स्कूल चुनने के अधिकार को भी स्वीकार करता है। नीति आयोग यह अपेक्षा करता है कि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय विकलांग बच्चों

की शिक्षा का भी ध्यान रखे। इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि हम समावेशी स्कूलों, विशेष स्कूलों, विशेष सेवाओं वाले स्कूलों जैसे लेबल का उपयोग करने की बजाय समावेशन और सभी की स्कूली शिक्षा के लिए अपनी यात्रा पर आगे कैसे बढ़ेंगे। सीएबीई, सितम्बर 2019 और एनईपी 2019 के परिणाम इन सभी सरोकारों को प्रभावित करेंगे।

शिक्षक-तैयारी और प्रबन्धन

सेवापूर्व शिक्षक तैयारी बहुत महत्त्वपूर्ण है। वैसे तो एनसीटीई सभी शिक्षकों के लिए नियामक निकाय है, किन्तु एनसीटीई से पहले संसद के अधिनियम के रूप में स्थापित की गई भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण को नियंत्रित करती है। 2015 में, आरसीआई ने दो साल के कोर्स के लिए अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन किया और दो वर्षीय बीएड और एमएड कोर्स के लिए 2014 की एनसीटीई अधिसूचना का अनुसरण करते हुए विकलांग बच्चों के लिए सामान्य और विशेष स्कूलों के लिए शिक्षकों को तैयार करने के कार्य को गति प्रदान की। ये पाठ्यक्रम दो विकलांगताओं में विशेषज्ञता के साथ समग्र विकलांगता उन्मुख हैं एवं इनमें स्कूल के विषयों के लिए शिक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। परन्तु एनसीटीई ने विशेष शिक्षा में डिप्लोमा और डिग्री दोनों की आरसीआई योग्यता को प्राथमिक स्तर तक ही स्वीकार किया है। परिणामस्वरूप स्कूलों में विकलांग बच्चों की सेवा करने के लिए उचित और पर्याप्त संख्या में पेशेवरों के मिलने में कमी आई है क्योंकि वे अनुबन्धित शिक्षक हैं और उनके सामने अपने कैरियर की प्रगति के अवसर नहीं हैं।

शिक्षक शिक्षा के लिए विज़न और चुनौतियाँ (ड्राफ्ट एनईपी 2019)

बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति (2013) सेवा प्रदाताओं की अपेक्षित भूमिका का विवरण देती है, जिसमें शिक्षा के सेवा प्रदाता भी शामिल हैं। 3-18 वर्ष आयु वर्ग और वैधानिक निकायों की भूमिका से सम्बन्धित जनशक्ति आवश्यकताओं को देखने की आवश्यकता है।

सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा जारी तदर्थ, स्वचलित सूचनाएँ अव्यवस्था और नीति के ख़राब कार्यान्वयन का कारण बनेंगी। जैसा कि फेस टू फेस और ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग मोड के उपयोग द्वारा उच्च शिक्षा पर अनुभाग में निर्धारित किया गया है, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा सेवित सेवापूर्व, सेवाकालीन और निरन्तर पेशेवर विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रमाणपत्र, क्रेडिट ट्रांसफर, विषय विकल्प, जनशक्ति, भर्ती और सेवा की स्थिति, कैरियर मार्ग आदि सभी को एक साथ सम्बोधित करने की आवश्यकता है। इनमें से कई पहलू सामान्य रूप से बच्चों और विशेष रूप से विकलांग बच्चों (जो अब तक एक उपेक्षित क्षेत्र है) के हित में सफल कार्यान्वयन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) द्वारा निर्धारित नए दिशानिर्देशों के तहत, शिक्षकों को बीएड कार्यक्रम में विभिन्न आयामों के लिए तैयार किया जाएगा, जिनमें से एक विशेष-शिक्षा शिक्षण भी होगा।

विशेष शिक्षक

स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अधिक विशेष शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और सैकेण्डरी स्कूल स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए विषय शिक्षण, विलक्षण रुचियों और प्रतिभा वाले बच्चों की शिक्षा एवं विशिष्ट विकलांगताओं के लिए शिक्षण शामिल हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए न केवल विषय-शिक्षण के ज्ञान और विषय से सम्बन्धित शिक्षा के उद्देश्यों की समझ की आवश्यकता होगी, बल्कि इसके लिए उपयुक्त कौशल और विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की समझ रखने की भी आवश्यकता होगी।

सामान्य विशेष शिक्षक के पास प्राथमिक विद्यालय के विषय क्षेत्रों में काम करने के लिए पर्याप्त क्षमता होती है और वे मध्य या उच्च विद्यालय में विषय शिक्षक के समर्थक और पूरक भी होते हैं, किन्तु हो सकता है कि एक विशेष शिक्षक को स्कूल के उच्च स्तर पर विषय का शिक्षण करने के लिए पर्याप्त ज्ञान न हो। इसी तरह एक शिक्षक अपेक्षित अनुभव प्राप्त करने के बाद विलक्षण रुचि और प्रतिभा वाले बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है। सामान्य शिक्षक के लिए, इन क्षेत्रों को सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद माध्यमिक विशेषज्ञता के रूप में विकसित किया जा सकता है। इन्हें सेवाकालीन रूप में पूर्णकालिक या अंशकालिक या मिश्रित पाठ्यक्रम की तरह पेश किया जाएगा।

निष्कर्ष

चुनौती यह है कि हम क्रेडिट-आधारित प्रणाली, बदलाव के विकल्प और नए संयोजनों की पेशकश करने वाले बहु-विषयक विश्वविद्यालयों में शिक्षा के भावी विभागों को कैसे देखते हैं? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और एनसीईआरटी के आरसीई/आरआईईएस ने भाषा, मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य में विशेषज्ञता के साथ चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाए हैं। यहाँ तक कि एक समय था जब बीएड और एमएड में प्राथमिक स्तर पर कृषि और

अन्य व्यावसायिक विकल्प भी उपलब्ध थे। दुर्भाग्य से, इन संस्थानों को कभी भी डिग्री देने और अपने सम्बन्धित राज्य के विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध कॉलेज बने रहने का मौक़ा नहीं मिला। हमें इन अनुभवों से सीखना चाहिए, आख़िरकार, हम हमारे वर्तमान निर्णयों से प्रभावित होने वाली भविष्य की पीढ़ियों के प्रति जवाबदेह हैं।

नीति-निर्माता और प्रशासक इन मुद्दों से जूझ रहे हैं, इसे आगे बढ़ाने के लिए विकलांग बच्चों को अभी भी हमारी आवश्यकता है। आइए हम निम्नलिखित आदर्शों का पालन करें और सीडब्ल्यूडीएस के ध्येय के हिमायती बनें :[vi]

1. जीवनपर्यन्त सीखने वाले बनें और अपने विद्यार्थियों को भी ऐसा बनने के लिए प्रेरित करें।
2. नवीनतम गतिविधियों के सम्पर्क में रहें, जैसे कि अधिगम के परिणाम, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन और नैदानिक उपकरणों के रूप में परीक्षण; एक सतत और समृद्ध प्रक्रिया के रूप में शिक्षण-अधिगम।
3. सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइनिंग फॉर लर्निंग (यूडीएल) को सशक्त बनाने की प्रक्रिया पर विचार करें।
4. विश्वास करें, पहचानें और सम्मान करें कि हम सब एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं और इस हममें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं।
5. अपनी ताक़त और कमज़ोरियों को जानें, अवसरों की तलाश करें, आदेशक बनने की बजाए उत्तरदायी बनें और अपनी परिस्थितियों को बदल डालें।

[i] Birrell, Ian. (23 April 2019). *Greta Thunberg teaches us about autism as much as climate change*.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/23/greta-thunberg-autism/
accessed on 21 September 2019.

[ii] Smith, M. K. (2015). What is education? A definition and discussion. *The encyclopaedia of informal education*. [http://infed.org/mobi/what-is-education-a-definition-and-discussion/. Retrieved 20 September 2019.

[iii] Portions of this writing are also from Author's chapter on Education of Persons with Disabilities in Indian Education: A developmental Discourse by Mukhopadhyay Marmar and Parhar Madhu (Eds), Shipra Publications, 2015.

[iv] Will advise all readers to read books by Shivani Gupta, No Looking Back, Rupa Publications Pvt. Ltd and Malini Chib, One Little Finger, Sage India.

[v] http://seshagun.gov.in/sites/default/files/2019-05/disabilitiesAct2016.pdf/accessed 22 September 2019.

[vi] Adapted from Mukhopadhyay, Sudesh, Making the Difference: Our Roles and Responsibilities. In Verma Preeti et.al. (eds.) (2019); *Be the Difference: Equality and Equity in Education*, Mumbai; Department of Special Education, SNDT.PP332-333.



डॉ. सुदेश मुखोपाध्याय, आरसीआई की पूर्व अध्यक्ष हैं। वर्तमान में वे एनसीटीई की स्थाई समिति की सदस्य हैं। वे लंदन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन की एसोसिएट हैं और मैनिटोबा यूनिवर्सिटी, कनाडा और मोनाश यूनिवर्सिटी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की विज़िटिंग फेलो भी हैं। उनसे drsudesh.mukhopadhyay@gamil.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।
अनुवाद : नलिनी रावल